

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय  
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 406  
22.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव और पीएलआई योजनाएं

**406. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:**

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत सरकार द्वारा विशेष रूप से उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं को दी जा रही सब्सिडी, प्रोत्साहन और नीतिगत सहायता के सन्दर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या विभिन्न ठोस कदम उठाए गए हैं;
- (ख) उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, विशेष रूप से उन्नत रसायन कोशिका (एसीसी) बैटरी भंडारण और ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट पीएलआई, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा देने में किस प्रकार प्रमुख भूमिका निभा रही है;
- (ग) क्या इन योजनाओं के माध्यम से निवेश, स्थानीयकरण और रोजगार में वृद्धि हुई है; और
- (घ) क्या सरकार राज्यों और निजी भागीदारी के समन्वय से शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना, हरित निर्माण और आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने हेतु लक्ष्य आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है?

उत्तर  
भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री भूपति राज् श्रीनिवास वर्मा)

- (क) भारत सरकार द्वारा पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को 29.09.2024 को दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। यह स्कीम निम्नलिखित तरीकों से उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है:
- (I) **उपभोक्ता:** यह स्कीम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को अग्रिम सब्सिडी प्रदान करने पर केंद्रित है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए इस स्कीम के तहत कुल 3,679 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं:

क्र.सं.	खंड	कुल सब्सिडी राशि (करोड़ रुपये में)	इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या
1.	ई-टुपहिया	1,772	24.79 लाख
2.	ई-तिपहिया	907	3.15 लाख
3.	ई-एम्बुलेंस	500	-
4.	ई-ट्रक	500	5,643

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- 14,028 ई-बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये का आवंटन।
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये का आवंटन।

अधिक जानकारी <https://pmedrive.heavyindustries.gov.in> पर उपलब्ध है।

**(II) विनिर्माता:** पीएम ई-ड्राइव स्कीम के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अनुपालन आवश्यक है, जो विनिर्माण के स्वदेशीकरण को अनिवार्य बनाता है। इससे देश में ऑटोमोटिव आपूर्ति शृंखला में लचीलापन आता है।

(ख) विवरण निम्नानुसार हैं:-

(i) ऑटोमोबिल और ऑटो घटक (पीएलआई ऑटो) के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता श्रेणी के आवेदकों को उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक (एएटी) वाहनों की निर्धारित (वृद्धिशील) बिक्री पर 13% से 18% तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है, और कंपोनेट चैंपियन श्रेणी के आवेदकों को एएटी कंपोनेट्स (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के एएटी कंपोनेट्स के लिए अतिरिक्त 5% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है) की निर्धारित बिक्री पर 7.2% से 13% तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) अनिवार्य है, जो ऑटोमोटिव आपूर्ति शृंखला में भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

(ii) पीएलआई उन्नत रसायन सेल स्कीम उन सेलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है जिनका उपयोग, अन्य बातों के अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में किया जाता है। इन सेलों का घरेलू उत्पादन भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।

(ग) और (घ) पीएलआई ऑटो स्कीम के अंतर्गत, 31.03.2025 तक संचयी निवेश 29,576 करोड़ रुपये रहा और 44,987 (संख्या में) रोज़गार सृजित हुए। स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए,

पीएलआई ऑटो स्कीम में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन अनिवार्य है और 16.07.2025 तक, अनुमोदित आवेदकों को 106 घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।

उपर्युक्त स्कीमें अखिल भारतीय स्कीमें हैं और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवीएन चार्जिंग बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए राज्यों और निजी भागीदारी के समन्वय पर काम किया जा रहा है। पीएलआई ऑटो स्कीम, एएटी उत्पादों के उत्पादन/बिक्री को प्रोत्साहित करके उनकी घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने को बढ़ावा देती है।

\*\*\*\*\*